GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार MINSTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय (RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

No. PC-VI/215' No. PC-V/2009/ACP/2 RBE No.101/2010 New Delhi, dated 21.7.2010

Sub: Grant of financial upgradation under the Modified ACP Scheme – reckoning of Non-Functional Grade (NFG) to DR Assistants/DR Grade 'C' Stenographers – clarification reg.

In supersession of Board's Order of even number dated 17.2.2010, it is clarified that DR Assistants/DR Grade 'C' Stenographers who have got Non-Functional Grade (NFG) in the Grade Pay of Rs.5400 would only be entitled to 3rd financial upgradation in the immediate grade pay of Rs.6600 <u>on completion of 30 years of continuous service or on completion of 10 years of stagnation in a single Grade Pay, whichever is earlier</u>. No further financial upgradation would be admissible to such officials.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways and has the sanction of the President.

3. Hindi version is enclosed.

(N. P. \$ingh) Dy. Director/ Pay Commission-V Railway Board

New Delhi, dated 21.7.2010

Pay & Accounts Officer Ministry of Railways Railway Board

No. PC-V/2009/ACP/2

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. पीसी-VI/२।5 सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं.101/2010 नई दिल्ली, दिनांक: २1 .07.2010

विषयः आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करना - सीधे भर्ती किए गए सहायकों/सीधे भर्ती किए गए ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों के लिए ग़ैर-कार्यात्मक ग्रेड की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण।

बोर्ड के दिनांक 17.02.2010 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीधे भर्ती किए गए सहायक/सीधे भर्ती किए गए ग्रेड 'सी' आशुलिपिक जिन्होंने 5400/- रुपए के ग्रेड पे में ग़ैर-कार्यात्मक ग्रेड प्राप्त कर लिया है, <u>30 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी</u> <u>हो जाने पर अथवा एक ही ग्रेड पे में 10 वर्ष का स्टेगनेशन पूरा हो जाने पर, जो भी पहले</u> <u>हो,</u> 6600/- रुपए के अगले ग्रेड पे में तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए ही पात्र होंगे। ऐसे पदाधिकारियों को कोई और वित्तीय अपग्रेडेशन स्वीकार्य नहीं होगा।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है तथा साथ ही इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति भी प्राप्त है।

Entr

(एन.पी. सिंह) उप निदेशक, वेतन आयोग-V रेलवे बोर्ड

वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड।

FINANCE-PC-V

1